

**कार्यालय सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर**

**सैरातों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती हेतु आम सूचना**

एतद सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर के क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित विभागीय सैरातों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती के लिए निर्धारित तिथि-01-04-2026, वितीय वर्ष 2026-27 के लिए खुला डाक से अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय 12:30 बजे अपराहन से कार्यालय परिसर में की जायेगी। डाक निलामी हेतु प्रथम निलामी कि तिथि को डाक नहीं होने के स्थिति में अगली क्रमशः तिथि को डाक किया जाएगा। आपके द्वारा अगर निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर बंदोबस्ती/डाक बोलने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इस संबंध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।


तिथि - 01.04.2026 04.04.2026, 07.04.2026	समय 12:30 बजे अपराहन	स्थान- सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर के कार्यालय परिसर में।
---	-------------------------	--

क्रं सं०	सैरातों का नाम	खेसरा नं०/ प्लॉट नं०	रकबा (एकड़-डी०)	न्यूनतम बोली की राशि (रु०)	जमानत की अग्रधन की राशि (रु०)	अभियुक्ति
1	तेतरहर (सिकरौल) टेम्पू पड़ाव मुख्य नहर से दाँये बक्सर के लिए खुलने वाले वाहनों के लिए।	16	0-22	448800	44880	
2	तेतरहर टेन्पू पड़ाव बसौली राजवाहा के बाँए खडैचा एवं कनझरुओं के लिए खुलने वाले वाहनों के लिए।	15	0-28	24500	2500	
3	पसहरा में गिट्टी एवं बालू रखकर विक्रय हेतु स्थल की बंदोबस्ती।	291	0-06	3750	450	
4	पसहरा टेम्पू स्टैण्ड की बंदोबस्ती।	291	0-03	37000	3700	
5	पसहरा लॉक पर परिसर के बाहर नहर की जमीन पर बाजार की बंदोबस्ती।			21100	2100	
6	बडका गाँव से नहर से पूरब जिप स्टैण्ड की बंदोबस्ती।	346	0-02	2700	300	
7	खडैचा पुल से उतर जिप स्टैण्ड की बंदोबस्ती।	471	0-02	2450	250	
8	बक्सर शाखा नहर के बाँये बैंक पर नारायणपुर पुल D/S में सब्जी बाजार की बंदोबस्ती।		5000 sq feet	44000	4400	
9	नारायणपुर पुल के पश्चिम एवं पूरब टेम्पू एवं जीप स्टैण्ड की बंदोबस्ती।	951, 952, 953, 980, 981, 982	0-25	80700	8100	
10	बक्सर दूर संचार कार्यालय के पीछे की निलामी भाग का यानी दक्षिण से उतर।	351	0-12	22100	2250	
11	बक्सर दूर संचार कार्यालय के पीछे की निलामी भाग का यानि उतर की ओर।	351	0-12	14000	1400	
12	सोहनीपट्टी बक्सर में 11 नं० लॉक पर बालू एवं गिट्टी रखकर विक्रय हेतु स्थल की निलामी।	321	30' X 40' = 0.0275	4500	450	

सैरातों का नाम	खेसरा नं०/ प्लॉट नं०	रकबा (एकड़-डी०)	न्यूनतम बोली की राशि (रु०)	जमानत की अग्रधन की राशि (रु०)	अभियुक्ति
13 बड़का गाँव मुख्य नहर पर सब्जी बाजार की निलामी।			1600	160	
14 ज्योति चौक के U/S में स्केप चैनल के दायें बैंक पर दीपक ऑटो रिपेयरिंग एण्ड पार्ट्स की दुकान से आगे पुरब की ओर पीछे से प्रथम स्थल की बंदोबस्ती।	02	30' X 40' = 0.0275	5300	550	
15 ज्योति चौक के U/S में स्केप चैनल के दायें बैंक पर दीपक ऑटो रिपेयरिंग एण्ड पार्ट्स की दुकान से आगे पुरब की ओर पीछे से द्वितीय स्थल की बंदोबस्ती।	02	30' X 40' = 0.0275	5300	550	
16 ज्योति चौक के U/S में स्केप चैनल के दायें बैंक पर दीपक ऑटो रिपेयरिंग एण्ड पार्ट्स की दुकान से आगे पुरब की ओर पीछे से तृतीय स्थल की बंदोबस्ती।	02	30' X 40' = 0.0275	5300	550	
17 ज्योति चौक के U/S में स्केप चैनल के दायें बैंक पर दीपक ऑटो रिपेयरिंग एण्ड पार्ट्स की दुकान से आगे पुरब की ओर पीछे से चतुर्थ स्थल की बंदोबस्ती।	02	48' X 25' = 0.0275	5300	550	

#### बंदोबस्ती का शर्त :-

1. डाक में भाग लेने वाले ईच्छुक व्यक्ति जमानत की राशि जमा करने के बाद ही डाक में भाग लेंगे। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को प्रत्येक बोली की रकम जमा करनी होगी। सफल डाकवक्ता को डाक की प्रक्रिया समाप्ति के तुरन्त बाद डाक की पूरी राशि एक मुश्त में जमा करना होगा।
2. यदि उच्चतम डाकवक्ता द्वारा बोले गये राशि पर बन्दोबस्ती नहीं ली जाती है तो उसके जमानत के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर ली जायेगी एवं द्वितीय डाकवक्ता के साथ बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी एवं अन्य व्यक्ति की जमानत की राशि को उसी समय वापस कर दी जायेगी।
3. डाक की कार्रवाई या किसी भी समय किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का एवं बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. निलामी की सम्पुष्टि कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा होन के पश्चात ही निलामी कर्ता को भरपाई रसीद दी जायेगी।
5. विभागीय भू-भाग की विभाग/सरकारी आवश्यकता पड़ने पर बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है। बंदोबस्तीकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा एवं डाक की राशि वापस नहीं की जायेगी।
6. बन्दोबस्ती होने से यातायात को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए।
7. सैरातो की गई बन्दोबस्ती परसिर के अन्दर किसी भी प्रकार का निर्माण वर्जित है।
8. उपर्युक्त शर्तों को नहीं मानने पर किसी भी बन्दोबस्ती रद्द की जाती सकती है।

  
 21.03.26  
 अवर प्रमंडल पदाधिकारी  
 सोन नहर अवर प्रमंडल, बक्सर

पत्रांक.....96...../

बक्सर, दिनांक..23.03.2026

प्रतिलिपि- सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को बन्दोबस्ती आम सूचना की 01 प्रति एवं सी० डी० सहित हिन्दी के दैनिक समचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशनार्थ संप्रेषित।

*Umesh*  
*23.03.26*  
अवर प्रमंडल पदाधिकारी  
सोन नहर अवर प्रमंडल, बक्सर

